



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30092022-239244
CG-DL-E-30092022-239244

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 479]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 30, 2022/आश्विन 8, 1944

No. 479]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 30, 2022/ ASVINA 8, 1944

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान

(संसदीय अधिनियम द्वारा स्थापित)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2022

(चार्टर्ड अकाउंटेंट्स)

सं. पीपीआर/पी/382/17/डीडी/02/आईएनएफ/18/डीसी/1352/2020.—चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (वृत्तिक और अन्य कदाचार के अन्वेषणों और मामलों के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 2007 के नियम 18(17) और 19(1) के साथ पठित, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 21ख(3) के उपबंधों के निबंधनानुसार अनुशासन समिति ने, सीए. के श्रीधर (सदस्यता संख्या 202382), 5, क्रिसेंट स्ट्रीट, सीताम्मा कॉलोनी, अलवरपेट, चेन्नई 600 018 को, पूर्वोक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची के भाग 1 की मद (7) के अर्थान्तर्गत वृत्तिक कदाचार का दोषी पाया है और इसके परिणामस्वरूप उपर्युक्त सीए. के श्रीधर (सदस्यता संख्या 202382) के नाम को 01 (एक) वर्ष की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटाने का आदेश दिया है और केवल 1,00,000/- रुपए (एक लाख रुपए) का जुर्माना भी अधिरोपित किया है, जिसका संदाय 3 मास के भीतर किया जाना है और अनुबंधित समय के भीतर जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम की दशा में उसके नाम को अतिरिक्त 01 (एक) मास की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटा दिया जाएगा। चूंकि, प्रत्यर्थी अनुबंधित समय के भीतर अधिरोपित जुर्माने का संदाय करने में असफल रहा है, अतः अनुशासन समिति के पूर्वोक्त आदेश के अनुसरण में और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विनियम, 1988 के विनियम 18 के साथ पठित पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त सीए. के श्रीधर (सदस्यता

संख्या 202382) का नाम, 30 सितम्बर, 2022 से 13 (तेरह) मास की समेकित [01 (एक) वर्ष और अतिरिक्त 01 (एक) मास] अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हट जाएगा।

सीए. (डॉ.) जय कुमार बत्रा, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./301/2022-23]

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

(Set up by an Act of Parliament)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th September, 2022

(CHARTERED ACCOUNTANTS)

No. PPR/P/382/17/DD/02/ INF/18/DC/1352/2020.—In terms of the provisions of Section 21B(3) of the Chartered Accountants Act, 1949 read with Rules 18(17) and 19(1) of the Chartered Accountants (Procedure of Investigations of Professional and Other Misconduct and Conduct of Cases) Rules, 2007, the Disciplinary Committee has held **CA. K Sridhar (Membership No. 202382), 5, Crescent Street, Seethamma Colony, Alwarpet, CHENNAI 600 018**, guilty of Professional Misconduct falling within the meaning of Item (7) of Part I of Second Schedule to the aforesaid Act and consequently ordered for removal of name of **CA. K Sridhar (Membership No. 202382)** from the Register of Members for a period of 01(One) year and also imposed a fine of Rs. 1,00,000/- (Rupees One Lakh only) to be paid within 3 months and in case of default in payment of fine within stipulated time his name shall be removed for additional 1(one) month period. Since the Respondent had failed to pay the imposed fine within stipulated time, in pursuance of the aforesaid Order of the Disciplinary Committee and in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 20 of the aforesaid Act, read with Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988, it is hereby notified that the name of said **CA. K Sridhar (Membership No. 202382)**, shall stand removed from the Register of Members for a consolidated period of 13(Thirteen) months [01(one) year plus additional 1(one) month] with effect from 30th September, 2022.

CA.(Dr.) JAI KUMAR BATRA, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./301/2022-23]